



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-321

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 309949 दिनांक 30/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajendra Prasad Meena S/o Durga Lal	सिद्धी विनायक एंटरप्राइजेज जरिये पार्टनर श्री भगवती प्रसाद शाह पुत्र श्री काशी प्रसाद शाह	37	83.33 SQ. YARD	Private	BALAJI VIHAR Sector/Block-B	Name Transfer	आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा पुत्र श्री दुर्गालाल द्वारा निजी खातेदारी की योजना बालाजी विहार-बी के उपविभाजित आवासीय भूखण्ड संख्या 37 क्षेत्रफल 83.33 वर्ग मी का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या 37 कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्ग मी का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 21.01.2014 को सिद्धी विनायक एंटरप्राइजेज जरिये पार्टनर श्री भगवती प्रसाद शाह पुत्र श्री काशी प्रसाद शाह के नाम जारी किया गया था। भूखण्ड संख्या 37 कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्ग मी में से



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								क्षेत्रफल 83.33 व0ग0 का उपविभाजन पत्र दिनांक 28.02.2018 को लीजधारक के पक्ष में जारी किया गया था। तत्पश्चात इनके द्वारा उपविभाजित भूखण्ड संख्या 37 क्षेत्रफल 83.33 व0ग0 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2019 के माध्यम से श्रीमती अनुराधा भटनागर पत्नी श्री अनुपम भटनागर को बेचान किया गया है। आवेदक द्वारा अपलोड किये गये विक्रय पत्र अनुसार श्रीमती अनुराधा भटनागर द्वारा उक्त भूखण्ड के पेटे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्राप्त किया गया था परंतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निष्पादित की गई विक्रय पत्र अनुसार श्रीमती अनुराधा भटनागर द्वारा लोन के पेटे लेय राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण बैंक द्वारा उक्त दस्तावेज/प्रोपर्टी को जब्त करते हुए जरिये
--	--	--	--	--	--	--	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पंजीकृत विक्रय
प्रमाण पत्र दिनांक
06.01.2026 के
आधार पर
आवेदक श्री
राजेन्द्र प्रसाद
मीणा को विक्रय
किया गया है।
प्रकरण में भूखण्ड
का बैचान स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया
द्वारा किया गया
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajendra Prasad Meena S/o Durga Lal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।